उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
(हल्द्वानी)

B.Ed. (Special Education) Admission Information Brochure

बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा)

प्रवेश सूचना विवरणिका

सत्र 2019-20

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय -ज्ञान-सम्पदा के युग में उच्च शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। विकास के इस दौर में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए हमें शिक्षार्थियों की संख्या दोगुनी करनी होगी- इस सत्य को अनेक योजनाकारों, आयोगों एवं चिन्तनशील व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने राष्ट्र के समग्र विकास में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अनेक मूल्यवान दस्तावेज प्रकाशित किये हैं। इस संदर्भ में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी कि तमाम ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा हैं। इस विश्वविद्यालय का उदे्श्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वारा खुल सकें।

विश्वविद्यालय ने 8 क्षेत्रीय केन्द्र क्रमशः देहरादून, रूड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी, रानीखेत, बागेश्वर, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में स्थापित किए हैं। इनके अधीन अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के ऐसे 284 अध्ययन केंद्र हैं।

दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रदत्त स्तरीय ज्ञान, चिन्तन और विचार, इन युवा अभ्यर्थियों की बुद्धि का उचित परिष्कार एवं परिमार्जन कर उन्हें राष्ट्र एवं समाज के उत्तम और भविष्यगामी निर्माण के लिए सक्षम बनाती हैं। यदि दूरस्थ शिक्षा की इस विशिष्टता को पहचान कर इसे अपनाया जाय तो शिक्षा की यह नूतन पद्धति सामान्य शिक्षा में तेजी से हो रही गिरावट को रोकने में अद्भुत योगदान कर सकती है।

शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा (School of Education)-

शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा की स्थापना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के समग्र व संपोषणीय विकास तथा एक नागरिक व ज्ञान समाज के निर्माण हेतु अधिकाधिक शिक्षकों व शिक्षक-प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति तथा इस दिशा में मौलिक एवं व्यवहत शोध के महत्वपूर्ण उद्देश्य से की गई है।

1. शिक्षाशास्त्र विभाग: इस विभाग के अन्तर्गत बी0 ए0 उपाधि कार्यक्रम में एक विषय-पत्र के रूप में शिक्षाशास्त्र तथा एम0 ए0 शिक्षाशास्त्र कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

2. शिक्षक शिक्षा विभाग: इस विभाग के अन्तर्गत पीएच0 डी0 शिक्षाशास्त्र कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

3. विशिष्ट शिक्षा विभाग: इस विभाग के अन्तर्गत विशिष्ट शिक्षा में बीएड0 तथा प्रमाण-पत्र कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।

Name	**Designation**	**e-mail**
Prof. H.P. Shukla	Director, School of Education	hpshukla@uou.ac.in
Dr. Dinesh Kumar	Assistant Professor	dineshkumar@uou.ac.in
Dr. Mamta Kumari	Assistant Professor	mtamta@uou.ac.in
Dr. Kalpana Lakhera	Assistant Professor	klakhera@uou.ac.in
Dr. Siddharth Kumar Pokhriyal	Academic Assoiciate	spokhriyal@uou.ac.in
Mrs. Manisha Pant	Academic Assoiciate	mpant@uou.ac.in

यद्यपि इस विवरणिका में सूचना / तथ्यों / नियमों के मुद्रण में पूर्ण सावधानी का पालन किया गया है, फिर भी यदि इस समय इस संबंध में कोई त्रुटि अथवा विसंगति पायी जाती है तो शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आधिकारिक सूचनाएं ही प्रभावी और सर्वमान्य होंगे।

Although due care has been taken while printing the information/rules/facts in the Prospectus, yet if any error or discrepancy comes into notice at the later stage, then the official information/ defined rules/facts issued by the University or Government will be effective and obligatory.

प्रस्तावना (Introduction)- विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र मै बेहतर प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है जो वास्तव में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ आत्मीयता स्थापित कर सके क्यांेकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बच्चोंकी अपेक्षा विशिष्ट होती है। उन्हें अतिरिक्त निर्देशन, अत्यंत धैर्य,संरक्षण एवं सहयोग की आवश्यकता होती है।दिव्यांगजनों को विशेष रूप प्रशिक्षित व्यवसायियों द्वारा प्रशिक्षण एवं शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र दिव्यांग बच्चों एवं व्यस्कों के अध्यापन तथा शिक्षा और पाठ्यक्रम विकास सहित कॅरियर के विभिन्न अवसर देता है। पुर्नवास व्यवसायी या विशेष शिक्षा शिक्षा वह होता है जो विभिन्न दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों तथा युवकों को पढ़ाने तथा संव्यवहार करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, पुनर्वास व्यवसायी या विशेष शिक्षा प्रशिक्षकों की आवश्यकता विभिन्न दिव्यांगजनों के लिए होती है।
दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चे किसी पारम्परिक या सामान्य कक्षा परिवेश में शिक्षा लेने में असमर्थ होते हैं, इन छात्रों को विशेष शिक्षा कक्षाएं एक विकल्प या शिक्षा लेने का बेहतर अनुभव देती हैं। ये व्यवसायी उन्हें पढ़ाते हैं और स्वतंत्र जीवन कौशल तथा संचार कौशल सहित बुनियादी पुनर्वास सेवाएं देते हैं, विशेष शिक्षा अध्यापकों का कार्य भावात्मक रूप से दक्षतापूर्ण एवं शारीरिक रूप से डे्निंग का हो सकता है, मानसिक या भावात्मक दिव्यांग छात्र किसी अध्यापक की निराशा का कारण हो सकते हैं, किसी विशेष शिक्षा अध्यापक को मानव मनोविज्ञान तथा भावनाओं की ठोस जानकारी भी होनी चाहिए।

यह कोर्स आपको दिव्यांगता के प्रति संवेदीकृत करता है। साथ ही विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए आपको तैयार करता है। आप बेहतर मानवीय मूल्यों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो के लिये एक शिक्षक, मार्गदर्शक,सलाहकार आदि की भूमिका का निर्वहन एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात आपके लिए रोज़गार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं जैसे विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में व्यापक अवसर विद्यमान हैं । साथ ही आपको विशेष शिक्षण संस्थानों के संचालन,पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको विशेष अवसर देता है।

दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में कॅरियर

कॅरियर के अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की सिफारिशों के आधार पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत निकाय-भारतीय पुर्नवास परिषद (आर0सी0आई0) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा शिक्षा के लिए अपेक्षित पुनर्वास व्यवसायियों और विशेष शिक्षकों का विकास करने की नीति एवं कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आर0टी0आई0) अधिनियम, 2009 तथा इसमें 2012 में हुए संशोधन में दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए प्रावधान है। दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यवसायियों की मांग तथा पूर्ति में बहुत बड़ अंतर है, पुनर्वास व्यवसायियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब यू0जी0सी0 और आर0सी0आई0 उच्चतर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रशिक्षित व्यवसायियों की सेवाएं जिला मुख्यालय स्तर तक सीमित होती हैं, तथापि, ब्लाँक तथा उपमंडल स्तर पर पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, प्रशिक्षित व्यवसायियों की कमी के कारण सरकार पुनर्वास व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने में समस्या हैं।

पाठ्यक्रम विन्यास (ब्वनतेम थ्तंउमूवता)- बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम 80 क्रेडिटका है तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह व अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केवल अधिगम अक्षमता, मानसिक विकलांगता से सम्बन्धित विशिष्टताओं में ही बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम की पाठ्य संरचना को पाँच सेमेस्टर में बाँटा गया है। कार्यक्रमकी संरचना निम्नानुसार है-

Semester: I

Course code / Paper Code	**Paper Title**	**Credit**	**Marks Theory/ Assignment**
A1	Human Growth and Development	4	60/40
A2	Contemporary India and Education	4	60/40
B7	Introduction to Sensory Disabilities	2	30/20
B8	Introduction to Neuro Developmental Disabilities	2	30/20
B9	Introduction to Locomotar and	2	30/20

	Multiple Disabilities		
E1	Cross Disability and Inclusion (Part of area-B)	2	50 Project/Training
Total Credits/Marks		16	400

Semester: II

Course code / Paper Code	Paper Title	Credit	Marks Theory/ Assignment
A3	Learing Teaching and Assessment	4	60/40
A4	Pedagogy of Teaching	4	60/40
B6	Inclusive Education	2	30/20
C12	Assessment and Identification of Needs	4	30/20
E2	Disability specialization(Part of area C)	2	50 Project/Training
Total Credits/Marks		16	350

Semester: III

Course code / Paper Code	Paper Title	Credit	Marks Theory/ Assignment
A5	Pedagogy of Teaching	4	60/40
C13	Curriculum Design Adaptation and Evaluation	4	60/40
C14	Intervention and Teaching Strategies	4	60/40
E2	Disability Specialization (Part of area C)	2	50 Project/Training
Total Credits/ Marks		14	350

Semester IV

Course code / Paper Code	Paper Title	Credit	Marks Theory/ Assignment
B10	Skill Based Optional Course (Cross Disabilty and Inclusion)	2	30/20
C15	Technology and Disabilty	4	60/40
C16	Psycho Social and family Issues	2	30/20
F1	Main disability special school Related area C	4	100 Project/Training
D17	Reading and Reflecting on texts	2	30/20
D18	Drama and Art in Education	2	30/20
	Total Credits/Marks	14	400

Semester V

Course code / Paper Code	Paper Title	Credit	Marks Theory/ Assignment
B11	Skill Based Optional Course (Disabilty specialization	2	30/20
D19	Basic Research & Basic Statistics	2	30/20
F1	Field Engagement/Internship- Main disability special school (Related to areaC)	4	100 Project/Training
F2	Field Engagement/Internship- Other disability special school (Related to area B)	4	100 Project/Training
F3	Field	4	100 Project/Training

	Engagement/Internship-Inclusive Education (Related to area B &C)		
Total Credits/Marks		16	400
Grand Total		80	2000

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम प्रवेश नियम

विश्वविद्यालय के मॉडल स्टडी सेंन्टर हल्द्वानी एवं विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून में B.Ed.Spl.Edu. MR, B.Ed. Spl.Edu. LD पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

1.प्रवेश पात्रता

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्नवत है -

1. अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से किसी एक में न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ) ;SC/ST/OBC के लिये 45%) उपाधि प्राप्त की हो।

2. निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे-

a-विकलांग बच्चे के माता-पिता हो या,

b-स्वयं विकलांग हो या,

c- RCI से मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त किया हो।

3. बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगें जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों- हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। परन्तु 2(a) की दशा में अर्ह अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रवेश साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ उनके बच्चे का 40%या उससे अधिक की विकलांगता काप्रमाण पत्र, 2(b)की दशा में सक्षम अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिलामुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ स्वयं का 40%या उससे अधिक कीविकलांगता का प्रमाणपत्र, तथा 2(c) की दशा में RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिग्रीकोर्स के प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र के साथ आर0सी0आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करना होगा।

नोट:-

1.अर्हता दिनांक 01.07.2019 को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

2.विकलांगता की स्थिति में विकलांग बच्चे के माताया पिता होने की स्थिति में बच्चे से अभ्यर्थी के सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही उत्तराखण्ड शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के ;अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिद्ध के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित Open Category के अन्तर्गत दिया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों के द्वारा प्राप्तअंकों के आधार पर किया जायेगा। प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूपआरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगें। 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की विकलांगता वाले विकलांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुतकरना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र केवल online सूचनाओं सहित भरना है। आवश्यक प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के उपरान्त बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश हेतु काउन्सलिंग के समय जमा किये जायेंगे। प्रवेश परीक्षा का विवरण तथा प्रश्नों का नमूना आगे दिया गया हैं। प्रवेश परीक्षा केन्द्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित है। प्रवेश साक्षात्कार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा, जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा तय की गयी मेरिट लिस्ट के अन्दर होंगे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता सम्बन्धी अपेक्षित मूल प्रमाणपत्रों एवं उनकी प्रतियाँ तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उसका प्रवेश पूर्ण समझा जायेगा। प्रवेश परामर्श में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को रु0 200/- परामर्श शुल्क के रूप में नगद जमा करने होंगे। परन्तु राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु0 100/- परामर्श शुल्क के रूप में जमा करनें होंगे। परामर्श शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

प्रवेश का आधार आवेदक के द्वारा सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रवेश पात्रता पूर्ण करने तथा आवेदक की प्रवेश परीक्षा में मेरिट होगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर औपबन्धिक रूप से चयनित होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता सम्बन्धी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों व अंकपत्रों एवं उनकी छाया प्रतियाँ तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उनका प्रवेश पूर्ण समझा जायेगा। प्रवेश परामर्श के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों (जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर) के प्रारूप अन्त में उपलब्ध हैं।

1.प्रवेश आवेदन-पत्र

बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की बेबसाइट https://online.uou.ac.in/Entrance/UoUEntranceTermCondition.aspx के लिंक पर जाकर बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश-2019 के उपलिंक में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा-

- अर्ह अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की बेवसाइट के सम्बन्धित लिंक में जाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम, निवास एवं श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग,अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदि वांछित सूचनाएं अपलोड करनी होगी।
- वांछित सूचनाएं अपलोड करने के उपरान्त विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क ऑन-लाइन जमा करना होगा।
- प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे|

प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र की सूचना प्रवेश पत्र पर अंकित की जायेगी एवं विश्वविद्यालय की बेवसाइट https://online.uou.ac.in/Entrance/UoUEntranceTermCondition.aspx पर भी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व प्रदर्शित की जायेगी। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.uou.ac.in पर उपलब्ध रहेगा। प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व डाउनलोड कर सकेगें। प्रवेश परीक्षा केन्द्र के आबंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित है। किसी भी परीक्षा केन्द्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम होने पर परीक्षा केन्द्र को निरस्त किया जा सकता है और परीक्षार्थियों को अन्य परीक्षा केन्द्र पर पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) में प्रवेश सम्बन्धी पात्रता कोपूर्ण करता है।

3. प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क

बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु0 1000/- एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0500/- हैं अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के इस शुल्क का भुगतान आनलाईन ट्रान्सफर से ही करना होगा।

4.महत्वपूर्ण तिथियॉं

क्र सं	विवरण	दिनांक
1	प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की प्रारम्भ तथि (ऑनलाइल प्रक्रिया)	30/05/2019
2	प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	30/06/2019
3	परीक्षा तिथि	07/07/2019 रविवार

बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)प्रवेश परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित होगी:

- **Haldwani**
- **Ranikhet**
- **Bageshwar**
- **Pithoragarh**
- **Dehradun**
- **Roorkee**
- **Pauri**
- **Uttarakashi**

नोट -अभ्यर्थियो की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रो मे परिवर्तन सम्भव हैं।
5. प्रवेश परीक्षा का स्वरूप-
बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश परीक्षा की विषयवस्तु दो खण्डों में विभाजित होगी।

प्रथम खण्ड -

सामान्य मानसिक योग्यता (Genral mental ability50 प्रतिशत अधिभारद्ध तथा सामान्य जागरूकता genral awareness 50 प्रतिशत अधिभार)। प्रथम खण्ड में आगमन व निगमन तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी (इतिहास, विज्ञान,राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल पर्यावरण आदि क्षेत्रों की) सेसम्बन्धित प्रश्न होंगे।

द्वितीय खण्ड-

दिव्यांगता की सामान्य समझ (Genral understanding of disability) (40 प्रतिशत अधिभार)और दो शिक्षण विषयों में अवबोध (Understanding in two teaching subjects) (30 प्रतिशत अधिभार प्रत्येक विषय में)द्वितीय खण्ड में विकलांग, बच्चों के मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं सेसम्बन्धित प्रश्न तथा दो शिक्षण विषय हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान) के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होगें।
प्रत्येक खण्ड में वस्तुनिष्ठ (MCQ प्रकार के 50.50 प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 3 घण्टेहोगी। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी होगी। प्रवेशपरीक्षा आरम्भ होनेके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने कीअनुमति नहीं दी जायेगी। प्रवेश परीक्षा के दो खण्डों के लिए एक उत्तर पत्रक OMR उपलब्ध कराया जायेगा। जिन पर अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर इंगित करने होगे। प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक के आगे चार गोले, जिनमें क्रमशः A,B,C व D अक्षर मुद्रित होगा, दिये गये होंगे। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के उपरान्त अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा तथा उत्तर पत्रक पर सम्बन्धित अक्षर वाले गोले को बाल पेन से पूरा काला करना होगा।
प्रवेश परीक्षा उत्तर पत्रक OMR भरने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ कालाध्नीला बालपेन लायें। दोनों खण्डों में सम्मिलित किये जाने वाले प्रश्नों के नमूने निम्नवत है-

Model Question paper

प्रथम खण्ड

1. यदि कूट भाषा में SHYAM को RIXBL लिखेंगे तो RADHA को क्या लिखेंगे।
(A) **QBCIB**
(B) QACOB
(C) DBCOB
(D) RACIB

2- Which one of the following word has wrong spelling-?
(A)Exite
(B) Compare
(C) Exact
(D) Actual

4. मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की?
(A)अकबर
(B) हुमायूं
(C) बाबर
(D) शाहजहाँ
5. विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है?
(A) बेरी-बेरी
(B) रतौंधी
(C) स्कर्बी
(D) रिकेट्स

द्वितीय खण्ड

6. सामान्य व्यक्ति की प्फकितनी होती है?
(A) 70-90
(B) 90-110
(C) 110-130
(D) 50-70
7. किसी व्यक्ति की श्रवण क्षमता को मापने की इकाई का नाम है-
(A) फैदम
(B) किलोग्राम
(C) डेसिबल
(D) मीटर
8. एक दृष्टि बाधित मानसिक विकलांग बच्चा प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकता है यदि
(A) उसे अनुभवों के विभिन्न अवसर दिये जायें।
(B) उसे केवल सुनकर सिखाया जाये।
(C) उसे क्रियात्मक तरीके से सिखाया जाये।
(D) उसे अपने आप सीखने दिया जाये।

9. मंगोलिय (Down syndrome) होने के कारण है-
(A) अपर्याप्त भोजन
(B) गुणसूत्र अनियमितता
(C) मस्तिष्क

(D) दुर्घटना के द्वारा
10. डिसग्राफिया होता है-
(A) शब्दों को पढ़ने में कठिनाई
(B) शब्दों को लिखने में कठिनाई
(C) **गणना करने में कठिनाई**
(D) 1 और 2 दोनों

11. बहुसंवेदी उपागम से अभिप्राय है-
(A) दृष्टि इन्द्रिय का उपयोग
(B) श्रवण इन्द्रिय का उपयोग
(C) **अनेक इन्द्रियों का उपयोग**
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
12. कक्षा में अध्यापक की सबसे आवश्यक भूमिका है-
(A) सूचनाएं देना
(B) क्षमताएं विकसित करना
(C) सही उत्तर लिखने हेतु तैयारी कराना
(D) **सीखने हेतु प्रेरणा देना**
13. निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
(A) 'रामचरिस मानस'
(B) कवितावली
(C) विनय पत्रिका
(D) **रामचन्द्रिका**
14-- Which one of the following word has the wrong spelling?
(A) Lilliputian
(B) Limnology
(C) Linguistics
(D) **Liutesant**

15. एक पांसे को एक बार फेंका जाता है। संख्या 3 अथवा 4 के आने की प्रायिकता क्या है?
(A) 3
(B) 1/3
(C) 4
(D) 2

4.परामर्श साक्षात्कार

प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों का परामर्श साक्षात्कार उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में निर्धारित तिथि के अनुसार होगा। अभ्यर्थी परामर्श साक्षात्कार हेतु विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.uou.ac.in को देखते रहे जिस पर उन्हें सूचित किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परीक्षा परिणाम समाचार पत्रों/विश्वविद्यालय की बेबसाइट से देख लें तथा प्रवेश हेतु चयनित होने पर परामर्श साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान ज्ञात कर लें। परामर्श साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, अंकपत्रों के साथ-साथ शपथ-पत्र अनुभव प्रमाण-पत्र व अन्य प्रमाण पत्र व उनकी छाया प्रतियां साथ मे लानी होंगी। परामर्श साक्षात्कार में निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त होजायेगा एवं प्रतीक्षा सूची से प्रवेश कर लिया जायेगा।

परामर्श साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को रु0-500/- परामर्श शुल्क के रूप में नगद जमा कराने होगे जबकि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को रु0-100/-परामर्श शुल्क के रूप में जमा करने होगे जो किसी भी दशा में वापिस नहीं होगे। उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परामर्श के समय क्रिमीलेयर से न आच्छादित होने का इसके लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें।

5. पाठ्यक्रम शुल्क

बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम शुल्क (प्रवेश शुल्क 8000 रु0 परीक्षा शुल्क 2500 रु0) प्रतिसेमेस्टर है, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय होगी। प्रथम वर्ष में प्रवेश के साथ प्रवेशार्थी को शुल्क का भुगतान रु0 10,500/-.प्रवेश परामर्श के समय बैंक चालानके माध्यम से करना होगा। बैंक चालान SBI अथवा Bank of Baroda द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त, विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के पक्ष में देय हो। बैंक चालान मे अभ्यर्थी अपना नाम व कार्यक्रम का नाम (अर्थातबी0एड0 विशिष्ट शिक्षा) अवश्य लिख दें। अभ्यर्थियों को शेष अन्य सेमेस्टरों का शुल्क रु0-10,500/-प्रति सेमेस्टर अध्ययन केन्द्र के माध्यम से यथासमय जमा करना होगा।

शिक्षण पद्धति

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) पद्धति में बहुमाध्यम दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है अर्थात् स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री, श्रव्य/दृश्य कार्यक्रम तथा प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा अनुदेशन किया जायेगा। बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) हेतु अनुदेशात्मक पद्धति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- स्व-अनुदेशनात्मक मुद्रित सामग्री
- श्रव्य दृश्य एवं अन्य इलेक्ट्रानिक अनुदेशन
- परामर्श सत्र
- अधिन्यास कार्य
- प्रयोगात्मक कार्य
- शिक्षण अभ्यास

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का शिक्षण में वृहद रूप में प्रयोग किया जायेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में निश्चित शिक्षण विधि का उपयोग पाठ्यक्रम विकास में किया जायेगा। आवश्यक सुविधांए-अध्यापकगण/परामर्शदाता, भौतिक संसाधन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर तथा अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगी।समय.समय पर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर तथा देहरादून परिसर मे 15दिवसीय अनिवार्य कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

मूल्यांकन पद्धति परीक्षा

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में सत्रीय प्रणाली को अपनाया गया है। विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए मूल्यांकन में निम्नलिखित तीन पक्ष सम्मिलित रहते है-

a. स्व-मूल्यांकन अभ्यास (परीक्षा में कोई अधिभार नहीं)
b. आवधिक सत्रीय कार्य (अधिन्यास कार्य परीक्षा में 40 प्रतिशत अधिभार)
c. सत्रान्त परीक्षा (परीक्षा में 60 प्रतिशत अधिभार)

प्रत्येक प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों के परामर्श एवं सम्पर्क शिक्षण परामर्श कार्यक्रम में कम से कम 80 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण/कार्यशाला/शिक्षण अभ्यास/इण्टर्नशिप में कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति रखने तथा अधिन्यास प्रूस्तुत करने पर ही शिक्षार्थी को सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षार्थी को प्रश्न-पत्र विशेष के अधिन्यास तथा सत्रान्त परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक पाने पर उस प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सभी प्रश्न-पत्रों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर शिक्षार्थी को अन्तिम सत्र के अन्त में उसके प्राप्तांकों के आधार पर सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अलग-अलग श्रेणी प्रदान की
जायेगी-

प्रथम श्रेणी - 60 प्रतिशत या अधिक
द्वितीय श्रेणी - 48 प्रतिशत या अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम
तृतीय श्रेणी - 36 प्रतिशत या अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम

परन्तु विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सामान्य नीति के अनुसार ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जा सकता है। किसी सेमेस्टर के किसी प्रश्न पत्र/किन्हीं प्रश्न पत्रों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने या सम्मिलित न होने पर शिक्षार्थी उस प्रश्न पत्र/उन प्रश्न पत्रों में उस सेमेस्टर की आगामी सत्रान्त परीक्षा में बैक परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता है परन्तु किसी भी दशा में कोई भी शिक्षार्थी एक सत्रीय परीक्षा में अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में ही बैक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेगा। इस हेतु उसे परीक्षा आवेदन पत्र भरकर वांछित शुल्क के साथ जमा करना होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रश्नपत्रों के बैक पेपर की परीक्षा निर्धारित परीक्षा के साथ ही सम्भव होगी। प्रवेश लेने की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर शिक्षार्थी को समस्त प्रश्न पत्र (अनिवार्य, वैकल्पिक एवं प्रयोगात्मक) उत्तीर्ण करने होगें। अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

अध्ययन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र

प्रवेश परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट एवं आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप अध्ययन केन्द्रों का आबंटन प्रवेश परामर्श प्रक्रिया के समय सुनिश्चत किया जायेगा। प्रवेश परामर्श प्रक्रिया की

सूचना विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी बेबसाइट पर उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय की बेबसाइट का अवलोकन करते रहे। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अध्ययन केन्द्र किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किये जायेगे। अभ्यर्थी को पाठयक्रम की सत्रांत्र परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारितपरीक्षा केन्द्र पर ही देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में रु0 800/-शुल्क देकर परीक्षा केन्द्रपरिवर्तन सम्भव है। परन्तु यह परिवर्तन प्रयोगात्मक परीक्षा में लागू नहीं होगा।

विकलांग अभ्यर्थी

- नेत्रहीन परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का समय विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। (यू0जी0सी0 के निर्देश बिन्दु संख्या-xiके समान)
- किसी भी परीक्षार्थी को विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है जब तक कि कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति उनके सम्बन्ध में न हो। श्रुति लेखक की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इसकी व्यवस्था संभव हो सकेगी। (यू0जी0सी0 के निर्देश बिन्दु संख्या iv के समान)
- विकलांग परीक्षार्थियों की परीक्षा भूतल पर कराने हेतु विशेष सुविधा (यू0जी0सी0 के निर्देश बिन्दु संख्या xiii के समान)
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग परीक्षार्थियों के पूर्व अनुरोध पर ही लिपिक/पाठ्य प्रयोग सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। (यू0जी0सी0 के निर्देश बिन्दु संख्या I समान)
- निःशक्त अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे प्रवेश परीक्षा के दौरान अपेक्षित सुविधा के लिए 10 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से आवेदन कर दें जिससे कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। चक्षु विकलांग अभ्यर्थी परीक्षा से 10 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक से श्रुति लेखक का नाम अनुमोदित करा लें। श्रुति लेखक सत्र 2013-14/2014-15 हाईस्कूल/इण्टर में सम्मिलित अभ्यर्थी हो सकता है जिसकी अंकतालिका व फोटो को प्रार्थना पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

विशेष सूचना-

इस प्रवेश सूचना विवरणिका में दी गई सूचनाओं में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति की स्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम व अध्यादेशों में वर्णित व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय का निर्णय ही अन्तिम होगा। कतिपय कारणों से अंकित विषयों में परिवर्तन की दशा में यथासमय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया आप स्वयं अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि इस आवेदन पत्र में आपके द्वारा उल्लिखित जाति, वर्ग अधिभार एवं अर्हता आदि से सम्बन्धित सूचनायें सही-सही भरी है। विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आपके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही की जायेगी एवं तत्सम्बन्धी सत्यापन प्रवेश परामर्श के समय आपके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जायेगा।

बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)) पाठ्यक्रम हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

नोट- निम्न शपथ पत्र प्रारूप को रू. 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुतकरें। जो लागू न हो उसे काट (X)दें।

समक्ष,

समन्वयक, बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश समिति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
तीनपानी बाईपास विश्वविद्यालय मार्ग हल्द्वानी - 263139

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि-

1. मैंने .... विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष .... में ....प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।

2.(i) मैं .... का/की माता/पिता हूँ। मेरा पुत्र/पुत्री 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है।

अथवा

(ii)मैं स्वयं 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हूँ।

अथवा

(iii)मैंने आर0सी0आई0 द्वारा मान्य योग्यता .... को वर्ष .... में पूर्ण किया है। आर0सी0आई0में इसकी पंजीकरण संख्या.......................... है।

(iv)(उपरोक्त 2 (i) 2 (ii) या 2 (iii)में जो लागू हो वही लिखा जाय)

3. मैं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह हूँ। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि मैं प्रवेश हेतु अर्ह नहीं था/थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा जमा की गयी किसी भी धनराशि को विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

4. बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक ....

शपथकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर
स्पष्ट शब्दों में नाम

<u>बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का प्रारूप</u>

निर्देश-अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के निम्न प्रारूप को संस्था के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... इस संस्था में दिनांक ....
से अध्यापक/अध्यापिका के रूप में निरन्तर कार्यरत है। यह संस्था राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित है। इनके उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के बी0एड0 कार्यक्रम को करने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर एवं नाम
तथा संस्था की मुहर

<u>प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप</u>

प्रमाण पत्र

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .... एक प्रतिरक्षाकर्मचारी/अधिकारी है जिनका रैंक .... है तथा नम्बर ....है जो किसक्रिय सेवारत हैं अथवा सक्रिय सेवारत थे अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।
श्री/कु0/श्रीमती .... इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी है।

ऑफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स

बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक .... अधिकारी का पूरा नाम ....

(स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री
से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाण पत्र

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./' .... पुत्र/पुत्री श्री...निवासी..
....स्वतंत्रतासंग्राम सेनानी श्री/श्रीमती'' ....निवासी...
.............................का आश्रित''' .... है।

जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी
हस्ताक्षर मोहर सहित

दिनांक .... अधिकारी का पूरा नाम ....

नोट-साथ में जिलाधिकारी प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं पेंशन पुस्तिका की सत्यापित फोटो कापी भी अवश्य संलग्न करें।

यहाँ आश्रित का नाम लिखा जाये।
यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा जाये
यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित के साथ सम्बन्ध लिखा जाये।

जिलाधिकारीया उपजिलाधिकारीका प्रमाण-पत्र आवश्यक है।